Frequently asked questions regarding Municipal Elections

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव कौन लड सकता है ?

उत्तर – राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 एवं 24 के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति नगरपालिका चुनाव लड सकता है :–

(i) जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

(ii) जिसका नाम संबंधित नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में अंकित हो।

(iii) दिनांक 27.11.1995 के पश्चात् व्यक्ति की संतानों की संख्या बढकर दो से अधिक न हो गई हो।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 (परिशिष्ट–1) में वर्णित योग्यताएं रखता हो एवं धारा 24 (परिशिष्ट–2) में वर्णित अयोग्यताएं ना हो।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव लडने के लिए नामांकन हेतु भरे जाने वाले फार्म/संलग्नक कौन–कौन से है ?

उत्तर– नगरपालिका चुनाव लडने के लिए नामांकन हेतु भरे जाने वाले फार्म/संलग्नक का विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–3)
2. उपाबंध – I (नगरपालिका सदस्य निर्वाचन हेतु)
3. उपाबंध – II (नगर परिषद/नगर निगम सदस्य निर्वाचन हेतु)
4. संतान के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग का प्रारूप
5. दोष सिद्वी एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु घोषणा पत्र
6. सांख्यिकी सूचना हेतु प्रपत्र।
7. निर्धारित अमानत राशि की रसीद।
8. आरक्षित श्रेणी की सीटों पर चुनाव लडने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव लडने हेतु भरे जाने वाले फार्मो का शुल्क क्या है और ये फार्म कहां उपलब्ध होगें ?

उत्तर – नगरपालिका चुनाव लडने हेतु भरे जाने वाले फार्म रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड किए जा सकते है।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव लडने हेतु अमानत राशि कितनी है ?

उत्तर – नगरपालिका चुनाव लडने हेतु अमानत राशि निम्नानुसार हैं :–

1. नगरपालिका बोर्ड सदस्य के लिए रूपये 1000.00 (रूपए एक हजार मात्र), अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में रूपये 500.00 (रूपए पांच सौ मात्र),
2. नगरपरिषद सदस्य के लिए रूपये 2000.00 (रूपए दो हजार मात्र), अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में रूपये 1000.00 (रूपए एक हजार मात्र)
3. नगर निगम सदस्य के लिए रूपये 3000.00 (रूपए तीन हजार मात्र), अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में रूपये 1500.00 (रूपए एक हजार पांच सौ मात्र)

नोट – अनारक्षित सीटो से चुनाव लडने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि अमानत राशि में छूट चाहते हैं तो उन्हें इस हेतु उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के निरस्त होने के मुख्य कारण कौनसे हैं ?

उत्तर – नगरपालिका चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के निरस्त होने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :–

1. उपाबंध–I, II मे कोई कॉलम रिक्त छोड दिया जाए एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मीमो जारी किए जाने के पश्चात् भी उम्मीदवार द्वारा मीमो में अंकित आक्षेप की पूर्ति नहीं की जाए।
2. आरक्षण के समर्थन में उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए।
3. अमानत राशि जमा नहीं कराई जाए।
4. एक से अधिक वार्डो में नामांकन पत्र दाखिल किए जाए एवं एक वार्ड को छोडकर शेष वार्डो से नामांकन पत्र वापस नहीं लिया जाए तो सभी नामांकन पत्र अमान्य माने जाऐंगे।
5. एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार को प्रस्तावित करता है तो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित प्रथम उम्मीदवार को छोडकर शेष उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र अमान्य माने जाएगें।
6. राज. नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 की योग्यता रखता हो एवं धारा 24 की अयोग्यता ना हो।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की संतानों की संख्या में क्या गोद दी गई संतानों को सम्मिलित किया जाएगा ?

उत्तर – जी हां।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव लडने के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं ?

उत्तर – नगरपालिका चुनाव लडने के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खडे किए गए उम्मीदवार के लिए एक एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक हैं।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव लडने के उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के नाम कहां की मतदाता सूची में होना आवश्यक हैं ?

उत्तर– नगरपालिका चुनाव लडने के लिए उम्मीदवार का नाम जिस नगरपालिका से वह चुनाव लडना चाहता हैं, उस नगरपालिका के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव हेतु अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं ?

उत्तर– नगरपालिका चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा एक वार्ड से अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। चार से अधिक दाखिल किए गए नामांकन पत्र अवैध मान जाएगें।

प्रश्न – नगरपालिका चुनाव लडने हेतु क्या एक वार्ड में एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने पर अमानत राशि भी पृथक–पृथक जमा करानी होगी ?

उत्तर– एक वार्ड के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जाने पर भी अमानत राशि एक बार ही ली जाएगी।

प्रश्न – नगरपालिका चुनावों में उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कैसे किया जाता है ?

उत्तर– इन चुनावों में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार को उस दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार जो इन राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अतिरिक्त अन्य किसी पंजीकृत राजनैतिक दल के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में अभ्यर्थी हैं, को मुक्त प्रतीकों में से आयोग के अधिसूचना कमांक 4270/26.09.2014 (परिशिष्ट–3) एवं 4921/21.10.2014 (परिशिष्ट–4) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चुनाव चिन्ह आवटित किया जाता है।

प्रश्न – राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल कौन–2 से है व उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह क्या है ?
उत्तर – राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह निम्नानुसार हैं :–

क.सं.	दल का नाम	चुनाव चिन्ह का नाम	चुनाव चिन्ह
1.	बहुजन समाज पार्टी Bahujan Samaj Party	हाथी Elephant	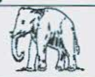
2.	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus	
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया Communist Party of India	बाल और हँसिया Ears of Corn and Sickle	
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) Communist Party of India (Marxist)	हथौड़ा,हँसिया और सितारा Hammer, Sickle and Star	
5.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand	
6.	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party	घड़ी Clock	

प्रश्न – राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी किसे माना जाएगा ?
उत्तर– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र मे किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किए जाना अंकित किया गया हो एवं उस राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के राज्य ईकाई के अध्यक्ष द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' मूल प्रति में उस अभ्यर्थी के नाम की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई हो। यदि किसी दल के राज्य ईकाई के अध्यक्ष द्वारा इस हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है तो राज्य ईकाई के अध्यक्ष द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर प्ररूप 'क' मूल प्रति में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है। उक्त प्ररूप 'क' एवं 'ख' नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए हो। (परिशिष्ट–3 एवं 4)

प्रश्न – यदि किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा दो अभ्यर्थियों को अपने दल के लिए अधिकृत कर दिया जाए तो किस अभ्यर्थी के उस दल द्वारा खडा किया हुआ माना जाएगा ?
उत्तर – किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा दो अभ्यर्थियों को अपने दल के लिए अधिकृत कर दिया जाने पर बाद में अधिकृत किया जाने वाले अभ्यर्थी को उस दल द्वारा खडा किया हुआ माना जाएगा।

प्रश्न – क्या काई व्यक्ति एक साथ दो जगह से नगरपालिका चुनाव लड सकता है ?
उत्तर – जी नहीं।